न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 110/2020

1. बलबीर सिंह पुत्र स्व. श्री रोहिताश सिंह आयु 27 वर्ष जाति राजपुत निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित – श्री सीताराम बुनकर वकील वादी

निर्णय

दिनांक – 28-12-20

संक्षेप में वाद वादी इस प्रकार है कि ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला स्थित भूमि खसरा नंबर 3823, 3827 कुल किता 2 रकबा 2.04 है. में वादी के दादा का नाम जीतासिंह पुत्र गोविन्द सिंह हिस्सा 1/10 दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि वादी के दादा मृतक खातेदार का वास्तविक नाम अजीतसिंह पुत्र गोविन्द सिंह है। वादी के दादा का समस्त रिकॉर्ड यथा परिवार राशन कार्ड, वोटर आईडी एवं सर्विस रिकॉर्ड में भी अजीतसिंह पुत्र गोविन्द सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में गलती से वादी के दादा का नाम घर के बोलते नाम जीतासिंह होने से जीतासिंह पुत्र गोविन्द सिंह दर्ज कर दिया। जिस कारण वादी को विरासतन नामान्तरकरण खुलवाने मे काफी हक तलफी है। प्रतिवादी को नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर कर आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के दादा का नाम जीतासिंह पुत्र गोविन्द सिंह हिस्सा 1/10 के स्थान पर अजीतसिंह पुत्र गोविन्द सिंह हिस्सा 1/10 दर्ज किया जाकर दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.01.06 17:02:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित होने से प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस वकील वादी सुनी गयी।

बहस वकील वादी सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला स्थित भूमि खसरा नंबर 3823, 3827 कुल किता 2 रकबा 2.04 है. में वादी के दादा का नाम जीतासिंह पुत्र गोविन्द सिंह हिस्सा 1/10 दर्ज रिकॉर्ड है। । वादी का कथन कि वादी के दादा का वास्तविक नाम अजीतसिंह पुत्र गोविन्द सिंह है एवं राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से जीतासिंह पुत्र गोविन्द सिंह दर्ज कर दिया है के समर्थन में वादी ने परिवार राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत दिवराला का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राजकीय सेवा के सर्विस रिकॉर्ड, प्रस्तुत किया है जिसमें वादी के दादा का नाम अजीतसिंह पुत्र गोविन्द सिंह दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वाद वादी बाबत् रिकॉर्ड दुरुस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला स्थित भूमि खसरा नंबर 3823, 3827 कुल किता 2 रकबा 2.04 है.में दर्ज खातेदार जीतासिंह पुत्र गोविन्द सिंह हिस्सा 1/10 के स्थान पर अजीतसिंह पुत्र गोविन्द सिंह हिस्सा 1/10 दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.01.06 17:02:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर